इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2018—कार्तिक 25, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)101-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री एस. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 22 सितम्बर 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एस. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)147-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 9 से 18 अक्टूबर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-21 अक्टूबर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

(3) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)212-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 सितम्बर से 12 अक्टूबर 2018 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2018

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)5472.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम एवं वर्तमान पद	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रेम कुमार सिन्हा, रजिस्ट्रार नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेन्ट्रल जोन ब्रांच, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5074.—(मेरिट क्र. 45), राज्य शासन, सुश्री रेखा पाराशर पुत्री श्री ओम प्रकाश पाराशर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770— 33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 06 जुलाई 1986 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5221.—(मेरिट क्र. 51), राज्य शासन, श्री विशाल खाडे पुत्र स्व. श्री रामदास खाडे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770— 33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 05 जनवरी 1990 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5224.—(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन, श्री सौरभ कुमार सिंह पुत्र श्री फूल सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीगढ़ (उ. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1994 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5247.—(मेरिट क्र. 54), राज्य शासन, श्री दिलीप पाटिल पुत्र श्री नंद किशोर पाटिल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1984 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5256.—(मेरिट क्र. 12), राज्य शासन, सुश्री गुंजन गौड़ पुत्री श्री बनराज गौड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770— 33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5272.—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, सुश्री निकिता वार्ष्णेय पुत्री श्री रूपेश चन्द्र वार्ष्णेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770— 33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 3 जून 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5273.—(मेरिट क्र. 48), राज्य शासन, सुश्री प्राची कौरव पुत्री श्री मुन्ना लाल कौरव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770— 33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5278.—(मेरिट क्र. 03), राज्य शासन, श्री अर्जित दुबे पुत्र श्री अरुण कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 17 नवम्बर 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5296.—(मेरिट क्र. 59), राज्य शासन, सुश्री स्मृति पटेल पुत्री श्री लोकनाथ पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा है. उसकी जन्मतिथि 1 मई, 1990 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5299.—(मेरिट क्र. 18), राज्य शासन, सुश्री आयुषी शर्मा पुत्री श्री शिव शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 6 जनवरी, 1994 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5300.—(मेरिट क्र. 46), राज्य शासन, सुश्री प्रीति पाण्डेय पुत्री श्री सुरेश कुमार पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 29 जनवरी 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5336.—(मेरिट क्र. 57), राज्य शासन, श्री हर्ष ठाकुर पुत्र श्री व्यंकटेश ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1992 है.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2018

फा. क्र. 4734-इक्कीस-ब-(दो)-2018.—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर में पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एल. एन. सोनी को इस विभाग के आदेश क्र. 4065 दिनांक 14 सितम्बर 2018 द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2019 तक निरन्तर किये जाने से, उपरोक्त दिनांक से दिनांक 31 जनवरी 2019 तक के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक) 5144-2018.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"7-क.	श्री रुपेश कुमार गुप्ता, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मंदसौर	मंदसौर".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No. 1-6-89-XXI-B (1) 5144-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial number 7-A and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"7-A	Shri Rupesh Kumar Gupta, IIIrd Additional Sessions Judge, Mandsaur.	Additional Special Court, Mandsaur	Mandsaur".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

फा. क्र. 4953-इक्कीस-ब-(दो)-2018.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 व 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार व्यास, सेवारत मुख्य अभियंता को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में तकनीकी सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक की वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्त करता है.

F-No. 4953-XXI-B (ii) 2018.—In exercise of the powers conferred by Section 4 and 5 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) the State Government hereby appoints Shri Rajendra Kumar Vyas, Chief Engineer as Technical

Member of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal, Bhopal from the date he assumes charge for the period of five years or till he attains the age of sixty five years, which ever is earlier.

फा. क्र. 5464-इक्कीस-ब(एक)-2018.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर में रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री जाकिर हुसैन, रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) उच्च न्यायालय, जबलपुर का स्थानान्तरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरुप इनकी सेवाएं एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)4729.—(मेरिट क्र. 28), राज्य शासन, श्री कपिल देव काछी पुत्र श्री भारत लाल पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 19 जुलाई 1993 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5408.—(मेरिट क्र. 93), राज्य शासन, श्री भारत सिंह भँवर पुत्र श्री मुकाम सिंह भँवर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 6 मई 1988 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5440.—(मेरिट क्र. 09), राज्य शासन, श्री मनोरम तिवारी पुत्र श्री परशुराम तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद (उ. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5041.—(मेरिट क्र. 33), राज्य शासन, सुश्री दीपिका यादव पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 11 जनवरी 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5488.—(मेरिट क्र. 81), राज्य शासन, सुश्री तारा मार्को पुत्री श्री तेजलाल मार्को को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1991 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5499.—(मेरिट क्र. 53), राज्य शासन, श्री फरहान मसूद कुरैशी पुत्र श्री मसूद अख्तर कुरैशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 16 नवंबर, 1994 है.

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)5507.—(मेरिट क्र. 84), राज्य शासन, सुश्री शिवानी धुर्वे पुत्री श्री चन्द्रशेखर धुर्वे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 30 अगस्त 1995 है.

फा. क्र. 17(ई) 08-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुशील कुमार, 18वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की सेवायें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 10-2-2018-तैंतीस भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2018

कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि लायसेंस पर देने की प्रक्रिया का निर्धारण

1. **भूमिका.**—मध्यप्रदेश पर्यटन नीति, 2016 की कंडिका 10 में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा "मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम 2015" के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्थानों पर इको/एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों एवं उनका स्वरूप निर्धारण करने के लिये मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को अधिकृत किया गया है. इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं पर्यटन विकास के लिये पर्यटन विभाग को आवंटित भूमियों/हेरिटेज परिसम्पत्तियों को अथवा अन्य विभागों द्वारा अधिकृत किए जाने पर या सहमति से उनकी भूमि एवं भवनों को निजी निवेशकों को लायसेंस पर केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने हेतु निवर्तन निम्नानुसार प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा.

2. **उद्देश्य.**—प्रक्रिया निर्धारण का उद्देश्य प्रदेश को केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने एवं पर्यटन का विकास करने के लिये प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक सौदर्य, घने वनों, विशाल जलाशयों, जल प्रपातों, नदियों के निकट स्थलों, वाटर बाडीज एवं ऐतिहासिक महत्व की परिसम्पत्तियों को पारदर्शी एवं सुनिश्चित तरीके से निजी निवेशकों को उपलब्ध कराना है.

3. **कार्यक्षेत्र एवं नोडल एजेंसी.**—यह प्रक्रिया वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित वन क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित "मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव) नियम 2015" के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील होगी. इस प्रक्रिया के संपादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शासन की नोडल एजेंसी होगा.

4. **कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से आशय.**—कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से आशय है कि निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन विभाग की भूमि एवं हेरिटेज परिसम्पत्तियों के आनुषांगिक भूमि एवं जल संरचना पर कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाईम्बिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा-सेलिंग/पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग आदि विभिन्न गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन से है.

5. **पात्रता.**—कोई भी व्यक्ति/फर्म/कंपनी द्वारा इस प्रक्रिया के अंतर्गत साहसिक पर्यटन हेतु चयनित स्थल/भूमि/हेरिटेज परिसंपत्ति आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है. ऐसे आवेदक व्यक्ति/फर्म/कंपनी की नेटवर्थ विगत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस 31 मार्च को न्यूनतम रुपये 10.00 लाख अथवा टर्नओवर विगत दो वित्तीय वर्ष में मिलाकर न्यूनतम रुपये 25.00 लाख होना आवश्यक होगा.

6. **आवेदन पत्र.**—चयनित भूमि/हेरिटेज परिसम्पत्ति पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु उपलब्ध भूमियों/परिसंपत्तियों को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड/विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा.

इच्छुक निवेशकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में निवेश की अभिरूचि (Intention to invest) हेतु आवेदन किया जायेगा. इस हेतु आवश्यक जानकारी सहित आवेदन का प्रारूप प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर एवं ऑनलाईन होगी. आवेदन के साथ रुपये दो हजार एवं नियमानुसार GST का आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा. एक ही स्थान पर एक से अधिक गतिविधियों के लिये विभिन्न आवेदकों को लायसेंस दिया जा सकेगा. सामान्यत: लायसेंस निर्धारित मापदण्डों पर चयनित आवेदक को "प्रथम आओं प्रथम पाओं" के सिद्धांत पर दिया जायेगा. एक ही स्थान के लिये समान गतिविधि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्ति की दशा में लायसेंस शुल्क की निर्धारित राशि से अधिक राशि के सीमित ऑफर सीलबंद लिफाफे में संबंधित आवेदकों से प्राप्त किये जायेंगे एवं अधिकतम राशि ऑफरकर्ता को लायसेंस दिया जायेगा. चयन मापदंडों का निर्धारण प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जायेगा एवं इसकी जानकारी दी जायेगी. प्रत्येक साइट की धारणा क्षमता (Carrying capacity) का यथा आवश्यकता आकलन बोर्ड द्वारा कराया जायेगा एवं उक्त क्षमता के अंतर्गत ही लायसेंस जारी किए जायेंगे.

7. **आवेदन चयन.**—कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु प्राप्त आवेदनों पर 15 कार्यदिवस के भीतर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा. स्वीकृति की दशा में आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र (Letter of

Acceptance) दिया जायेगा, जिसका प्रारूप प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा. प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा आवेदन चयन किया जायेगा. उक्त समिति में संचालक एडवेंचर टूरिज्म, संचालक निवेश संवर्धन एवं संयुक्त/उप संचालक वित्त सदस्य होंगे.

8. **आवंटन.**—कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने के पश्चात् कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ स्थापित एवं संचालित करने हेतु अधिकतम 6 माह की समयावधि दी जायेगी. लायसेंस अवधि की गणना मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लायसेंस जारी करने के दिनांक से की जायेगी. लायसेंस में केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों, लायसेंस अवधि, संचालन की शर्तें, नवीनीकरण, लायसेंस निरस्तीकरण, विवाद निराकरण आदि का विवरण होगा.

9. **लायसेंस अवधि.**—लायसेंस की अवधि सामान्यत: 5 वर्ष से कम तथा 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी. पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से लायसेंस की अवधि का निर्धारण करने हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे. 05 वर्ष तक की लायसेंस अवधि को 15 वर्ष तक के लिये प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नियत शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा. लायसेंस को यह स्वतंत्रता होगी कि वह 05 वर्ष से पूर्व भी भूमि/परिसंपत्ति सहित लायसेंस समर्पित कर सके. उक्त स्थिति में जमा लायसेंस फीस लौटाई नहीं जायेगी. लायसेंस अवधि की गणना लायसेंस जारी करने के दिनांक से की जायेगी.

10. **लायसेंस फीस.**—केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रथमत: 5 वर्षों हेतु लायसेंस फीस रुपये 25,000/-+ GST एक मुश्त देय होगी. वर्ष से अधिक वर्षों हेतु रुपये 5000/-+ GST प्रतिवर्ष की दर से लायसेंस शुल्क देय होगा.

11. **मापदण्ड.**—11.1 आवंटित भूमि पर, वर्ष में कम से कम 50 दिवस कैम्पिंग साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी. गतिविधि स्थल पर महिला एवं पुरूष शौचालय, वस्त्र बदलने का कक्ष, शुद्ध पेय जल, खान-पान, सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार की सुविधायें होना आवश्यक है. कैम्प का दुर्घटना आदि आवश्यक बीमा कराना अनिवार्य होगा. गतिविधि स्थल पर अनुपयुक्त सामग्री के निपटान की समुचित व्यवस्था किया जाना होगा. कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण/सामग्री आदि यथा संभव राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होना वंछित है.

11.2 **साहसिक पर्यटन गतिविधियों के स्थापना एवं संचालन.**—साहसिक पर्यटन गतिविधियों के स्थापना एवं संचालन के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी सामान्य निर्देश संलग्न अनुलग्नक 1.1 अनुसार प्रसारित किये गये हैं. इन निर्देशों एवं समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा.

12. **विविधि.**—12.1 कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों/सेवाओं के लिये शुल्क अथवा टिकट की दरें निर्धारित करने हेतु निवेशक स्वतंत्र होगा. आपात परिस्थितियों में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा परिसर का उपयोग किया जा सकेगा.

12.2 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों एवं सामग्रियों का यथा-समय निरीक्षण किया जा सकेगा. लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रति उल्लंघन पर रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी तथा लायसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकेगा. उल्लंघन के निराकरण उपरांत लायसेंस निलंबन समाप्त किया जा सकेगा. लायसेंस की शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर जमा लायसेंस शुल्क को राजसात करते हुए, लायसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकेगा.

12.3 केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु, लायसेंसी द्वारा आधारभूत संरचना यथा सड़क, पेयजल, ऊर्जा, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना-संचालन हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा.

12.4 लायसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा लायसेंस रद्द होने के उपरांत लायसेंसी द्वारा निर्मित सभी संरचनाएं स्वमेव पर्यटन विभाग के स्वामित्व में मानी जायेगी तथा इसके लिये संचालक (लायसेंसी) को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी.

12.5 मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्राप्त आवेदन शुल्क, लायसेंस शुल्क, शास्ति से प्राप्त होने वाली राशि आदि मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 9.8 के अंतर्गत गठित पृथक् मद में जमा की जायेगी.

12.6 कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु भूमि "जहाँ है जैसी है" की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी तथा गतिविधियों के निर्माण एवं संचालन के लिये आवश्यक

अनुमतियों/पंजीयन/लायसेंस इत्यादि प्राप्त करना एवं प्रचलित अधिनियमों/नियमों/शासन के मार्गदर्शित निर्देशों का पालन करना लायसेंसी का दायित्व होगा.

13. **विवाद निराकरण, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या.**—मुख्य सचिव या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्रमुख सचिव किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय करने के लिये अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

इन नियमों की स्पष्टीकरण, संशोधन अथवा व्याख्या हेतु पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी.

14. **अधिकारिता.**—केम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अनुसार लायसेंस जारी करने तथा प्रक्रिया के पालन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सिंगरौली विकास प्राधिकरण, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र.2050-सिंग.वि.प्राधि.-2018 सिंगरौली, दिनांक 25 अक्टूबर 2018

प्ररूप-अठारह

[नियम 19(4) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन नगर तथा विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन नगर विकास योजना का प्रारूप (योजना का नाम) प्राधिकरण प्लाजा क्षेत्र ग्राम बेलौली खसरा क्रमांक 97, 98, 186/1, 186/3, 187/4, 190/2, 192/6, 194/7, 197/4, 198/1 एवं 199/3 कुल किता 12 रकबा 0.700 हेक्टेयर (खसरा क्रमांक सहित क्षेत्र का वर्णन जिसमें योजना प्रस्तावित है) के लिये तैयार किया गया है और जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:—

1. कार्यालय, सिंगरौली विकास प्राधिकरण

2. कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला सिंगरौली

3. कार्यालय, नगरपालिक निगम, सिंगरौली

किसी भी ऐसी आपत्ती या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के तीस दिवस के भीतर लिखित में प्राप्त हों, विचार किया जाएगा.

राजेश कुमार शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2018

क्र. 778 (2)-फा. दो- 22-1-स्था.-2013-**शुद्धि-पत्र.**—कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 742-फा. दो- 22-1-स्था.-2013, दिनांक 24 अक्टूबर 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, पृष्ठ क्रमांक 7038 में दिनांक 9 नवम्बर 2018 को प्रकाशित अधिकरण की शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि त्रुटिवश दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक प्रकाशित हो गई है जिसके स्थान पर दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 29 दिसम्बर 2018 तक पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी.

एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.